कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बजाज इलेक्ट्रिकल्स लि0, बजाज भवन, 21 / 32 A तिलक मार्ग, नियर मोती महल, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**430 / 0।, दिनांक 23.12.08**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 सी0 रस्तोगी।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-430 / 08, दिनांक 23.12.08 को प्रस्तुत किया गया था जिसके माध्यम से उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये थे :-

1. व्यापारी द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा क्रेता व्यापारी को performance based incentive दिया जाता है। क्या इसके लिए इन incentive पर वैट का लाभ मिलेगा।

2. उनके कुछ क्रेता व्यापारी द्वारा व्यापारियों को early payment discount दिया जाता है। क्या इस राशि पर भी वैट का लाभ मिलेगा।

2. दिनांक 3.9.09 को व्यापारी की ओर से फर्म के अधिवक्ता-श्री एस0 सी0 रस्तोगी उपस्थित हुए और प्रार्थना-पत्र में लिखे तथ्यों को दोहराया।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-3811, दिनांक 23.1.09 द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर आख्या भेजी गयी है। जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न धारा-59 (1) में निहित बिन्दु-क, ख, ग, घ एवं ङ में से किसी भी वर्गीकरण में नहीं आता है। चूँकि व्यापारी द्वारा माँगी गयी जिज्ञासा धारा-59 की परिसीमा के बाहर है। अत: व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

4. मेरे द्वारा पत्रावली एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न धारा-59 (1) के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। अत: व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. तदनुसार व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23, सितम्बर, 2009

प्रमाणित प्रतिलिपि
23/9/09

ह0 / 23.9.09
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।